श्रीमान जी,

2022/192

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया अंजू बराड पुत्री मुख्तयार सिंह पत्नी यादविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस सदस्य प्रमाण पत्र पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद गुम होने बाबत एफआईआर पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता मुख्तयार सिंह पुत्र दम्मन सिंह जाति जटसिख निवासी 23 जैड श्रीगंगानगर ने दिनांक 10.06.2020 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 18.12.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 10.06.2020 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान मदन लाल पुत्र राम लाल एवं यादविन्द्र सिंह पुत्र भूरा सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिववक्ता श्री मुकेश कुमार ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है
जिला पंजीयक महोदय

8/6/22

8.6.22

A11 F. [illegible]
8/6/2022
(Mukesh Kumar)
Adv